


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 55/2024 बउनवानी मोहर सिंह गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं अति०जिला कलेक्टर,स०मा० पुत्र श्री शिवजी लाल गुर्जर ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील तलावडा

GCMS No-2024/148

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	पृष्ठ संख्या
19.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपी०लान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.9.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "ग्राम टोटोलाई मे भू-प्रबंध (राजस्व बंदोबस्त) से पूर्व के साबिक ख०न० 13,14,15,17,18,19,24,26,28,की पुरानी नकल नक्शा शीट किस्तवार एवं हाल ख०न० 246,279,263,335,222,223,336 की नवीन नकल नक्शा शीट किस्तवार की सूचना" जिला अभिलेखागार भू०अ० से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(1)(98)सूकाअ/2024/1182 दिनांक 12.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.9.2024 में चाही गयी बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू०अ० के पत्रांक 3564 दिनांक 6.11.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.9.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी भू०अ० अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा पत्रांक 3564 दिनांक 6.11.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	



(शुभम चौधरी)

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

